

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक /टीसी/ 73 /उपां/सागर/नग्नानि/ 2018 भोपाल, दिनांक:- /01/2020  
प्रति,

1. कलेक्टर,  
जिला सागर (म.प्र.)।
2. संयुक्त संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
जिला कार्यालय, सागर (म.प्र.)।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, सागर  
जिला सागर (म.प्र.)।
4. आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
सागर जिला सागर (म.प्र.)।

**विषय:-** सागर विकास योजना 2031 में स्मार्ट सिटी सागर परियोजना अंतर्गत ए.बी.डी. क्षेत्र के विकास हेतु उपांतरण बावत ।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा सागर विकास योजना 2031 में स्मार्ट सिटी सागर परियोजना अंतर्गत ए.बी.डी. क्षेत्र के विकास हेतु उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना एवं प्रस्तावित उपांतरण के मानचित्र तथा योजना प्रारूप को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

**संलग्न:-यथोपरि**

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक 87 /टीसी/ 73 /उपां/सागर/नग्नानि/ 2018

भोपाल, दिनांक:- 04 /01/2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

AITO. (Mrs. Satakshi)

pl. upload on our website

04/01/2020

3/1/2020

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

मध्य प्रदेश, भोपाल

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

## सूचना

भोपाल, दिनांक:- 04 /01/2020


क्रमांक 84 /टीसी/ 73 /उपां/सागर/नग्रानि/ 2018 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, ए.बी.डी क्षेत्र के अंतर्गत सागर विकास योजना 2031 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

प्रस्तावित उपांतरण के मानचित्र तथा योजना प्रारूप निम्न कार्यालयों में सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में निम्न स्थलों पर अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेंगे :-

1. कलेक्टर कार्यालय, जिला सागर,
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर,
3. आयुक्त नगर पालिक निगम सागर

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सागर तथा वेबसाईट [http://mptownplan.gov.in/plan\\_sagar.html](http://mptownplan.gov.in/plan_sagar.html) पर भी निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे ।

प्रस्तावित उपांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति के आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सागर को अथवा [email.obj-sugg-sagar@mp.gov.in](mailto:email.obj-sugg-sagar@mp.gov.in) दैनिक समचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियों या सुझाव जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा ।



(स्वतंत्र कुमार सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

मध्य प्रदेश, भोपाल

